उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 831 / VII-1 / 2018 / 247–ख / 02
देहरादूनःदिनांकः 15 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

श्री जे०सी० तिवारी, निवासी मल्ली बमोरी, हल्द्वानी के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम थर्प के क्षेत्रान्तर्गत कुल 49.70 है० क्षेत्रफल पर स्वीकृत खनन पट्टा में लोहार खेत, पंगचौड़ा, चकजमाणी एवं अलकन्या ग्राम सम्मिलित हैं। ग्रामवासी पंगचौड़ा द्वारा विभिन्न प्रत्यावेदनों के माध्यम से थर्प माइन्स के अन्तर्गत 123 एकड़ क्षेत्रफल पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टे में से ग्राम पंगचौड़ा की भूमि को पृथक किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र दिनांक 10.01.2017 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्यानुसार ग्राम पंगचौड़ा के ग्रामीण, जो कि भूमिधर भी हैं, श्रीमती नन्दिता तिवारी के पक्ष में अपनी भूमि को देने के पक्षधर नहीं हैं। ग्रामीणों / भूमिधरों द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है। श्रीमती तिवारी के पक्ष में ग्राम पंगचौडा के किसी भी व्यक्ति / भूस्वामी द्वारा अनापत्ति नहीं दी गई है। प्रकरण के संबंध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई तथा जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या के क्रम में शासन स्तर पर दिनांक 20.2.2017 को सम्पन्न सुनवाई में संबंधित पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप सं० 167 / VII-1 / 16 / 247–ख / 02, दिनांक 27.2.2017 द्वारा ग्राम पंगचौड़ा के भूस्वामियों द्वारा शासन को प्रस्तुत नोटरीकृत आपत्ति एवं जिलाधिकारी, बागेश्वर की आख्या दिनांक 10.1.2017 के दृष्टिगत थर्प माईन्स के 123 एकड़ क्षेत्रफल के सोपस्टोन खनन पट्टे में से ग्राम पंगचौड़ा को पृथक करते हुए अवशेष क्षेत्रफल में खनन पट्टा का नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को निर्देशित किया गया।

2. प्रकरण के संबंध में जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा पत्र संख्या–506 / तीस / खनन / 2016–17, दिनांक 3 अप्रैल, 2018 द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्यानुसार श्रीमती नन्दिता तिवारी, तिरूपति मल्ली बमोरी, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा ग्राम थर्प के क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे में से कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.2.2017 द्वारा लिये गये निर्णयानुसार ग्राम पंगचौड़ा को पृथक करते हुए अवशेष क्षेत्रफल में खनन पट्टा का नवीनीकरण किये जाने हेतु श्रीमती नन्दिता तिवारी द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सहमति प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.2.2017 द्वारा पारित निर्णय के क्रम में प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

3. संगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.2.2017 द्वारा लिये गये निर्णयानुसार श्रीमती नन्दिता तिवारी द्वारा जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम थर्प क्षेत्रान्तर्गत कुल 49.70 है० (123 एकड़) क्षेत्रफल पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टे में से ग्राम पंगचौड़ा को पृथक करते हुए नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या–1590 / तीस–खनन / 2016–17, दिनांक 10.1.2017 की आख्यानुसार थर्प माईन्स क्षेत्रान्तर्गत 123 एकड़ (49.70है०) में ग्राम पंगचौड़ा का कुल 14.328 है० क्षेत्रफल सम्मिलित है, जबकि थर्प माइन्स क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंगचौड़ा को पृथक करने के उपरान्त अवशेष क्षेत्रफल 35.372 है० है।

4. प्रकरण में आवेदिका श्रीमती नन्दिता तिवारी एवं थर्प माईन्स के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंगचौड़ा के ग्रामवासियों / भूमिधरों को सुनवाई का युक्तियुक्त / पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए शासन स्तर पर सम्पन्न सुनवाई के उपरान्त उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.2.2017 द्वारा थर्प माईन्स क्षेत्रान्तर्गत 123 एकड़ (कुल 49.70 है०) क्षेत्रफल के सोपस्टोन खनन पट्टे में से ग्राम पंगचौड़ा को पृथक करते हुए अवशेष क्षेत्रफल में खनन पट्टे का नवीनीकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुरूप श्रीमती नन्दिता तिवारी द्वारा ग्राम थर्प के क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे में से ग्राम पंगचौड़ा को

छोड़ते हुए अवशेष क्षेत्रफल में खनन पट्टा का नवीनीकरण किये जाने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित दिनांक 7.10.2015 के प्रस्तर–3(एक) में पूर्व से चल रहे खनिजों के खनन पट्टों की अवस्थिति के संबंध में निम्नवत् प्रावधान विहित है :–

(1) 5.00 है० से कम के खनन पट्टों की अवधि भी पट्टाधारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर 50 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(2) 5.00 है० से अधिक क्षेत्रफल में पूर्व से संचालित खनन पट्टों की अवधि स्वतः ही 50 वर्ष समझी जाये।

उक्त के अतिरिक्त संगत नीति के प्रस्तर–3(सात) में प्रावधान विहित है कि "खनन पट्टा विलेख ₹ 1000 के स्टाम्प पेपर पर अवशेष अवधि हेतु किया जायेगा"

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति तथा वर्तमान में प्रभावी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 (यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.2.2017 के दृष्टिगत श्रीमती नन्दिता तिवारी के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम थर्प क्षेत्रान्तर्गत कुल 49.70 है० (123 एकड़) क्षेत्रफल पर स्वीकृत सोपस्टोन के खनन पट्टे में से ग्राम पंगचौड़ा की 14.328 है० भूमि को छोड़ते हुए अवशेष 35.372 है० क्षेत्रफल में मूल खनन पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि दिनांक 9.3.1978 से सोपस्टोन के उक्त खनन पट्टे को अग्रेत्तर 50 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित/स्वीकृत किये जाने हेतु उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 यथासंशोधित दिनांक 7.10.2015 के प्रस्तर–3(एक)(2) एवं प्रस्तर–3(सात) के प्रावधानानुसार अनुपूरक खनन पट्टा विलेख निष्पादन कर तद्नुसार खनन कार्य के संचालन की कार्यवाही की जाये। प्रकरण के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–2258/सात/2004–247–ख/2004, दिनांक 11 अक्टूबर, 2004 के क्रम में शासनादेश संख्या–1303/VII-1/25–रिट/ 2012 (247–ख)/2002, दिनांक 23 जनवरी, 2013 द्वारा उत्खनित सोपस्टोन के निकासी हेतु रवन्ना निर्गत किये जाने की अनुमति को उक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निष्प्रभावी किया जाता है।

उक्तानुसार लिया गया निर्णय मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित/विचाराधीन रिट याचिका सं० 666/एम०एस०/2017 में पारित वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा तथा तद्नुसार आवेदिका श्रीमती नन्दिता तिवारी द्वारा दिनांक 7.6.2001 को नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को भी उक्तानुसार निस्तारित/निर्णीत किया जाता है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्याः 831 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. श्रीमती नन्दिता तिवारी पत्नी स्व०श्री जे०सी० तिवारी, निवासी तिरूपति मल्ली बमोरी, हल्द्वानी, नैनीताल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव